## हिमाचल प्रदेश सरकार उद्योग विभाग

संख्याः इण्ड-बी-एफ(6)-14-2014-III

तारीखः

26 सितम्बर, 2024

# <u>अधिसूचना</u>

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 23 ग के साथ पठित धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या इण्ड—II—(एफ) 6—14/2014 तारीख 13 मार्च, 2015 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र हिमाचल प्रदेश में तारीख 21 मार्च, 2015 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खन्न, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।	1.	(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खन्न, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) पांचवां संशोधन नियम, 2024 है। (2) ये नियम राजपत्र (ई—गजट), हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
नियम 2 का संशोधन	2.	हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खन्न, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 2 के उप—नियम (1) में,— (क) खण्ड (त) के स्थान पर निम्निलखित रखा जाएगा, अर्थात् "(त) 'उत्खनन' से, किसी भूमि से खनिजों की छंटाई के प्रयोजन हेतु खनिजों की खुदाई अभिप्रेत है;" (ख) खंड (ख ट) के स्थान पर निम्निलखित रखा जाएगा, अर्थात्ः— "(ख ट) 'राज्य भू—विज्ञानी' से उद्योग विभाग में राज्य भू—विज्ञानी अभिप्रेत है"
धारा 16 का संशोधन	3.	उक्त नियमों के नियम 16 में,— (क) उप—नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(2) खनन पट्टे का नवीकरण निदेशालय स्तर पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान
किया जाएगा। खनन पट्टे के नवीकरण हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया,
सम्बन्धित ग्राम पंचायत के साथ परामर्श के सिवाय, और सरकार के अनुमोदन
से, खन्न पट्टे के नये अनुदान के लिए यथा अधिकथित प्रक्रिया के समरूप
होगी। तथापि, खन्न पट्टे के नवीकरण हेतु आवेदन पट्टे के अवसान से छह
मास से पूर्व वांछित दस्तावेजों सहित और प्रथम अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट
अप्रतिदेय फीस के संदाय पर प्ररूप—'ग' में किया जाएगा। आवेदक नियत
अवधि में आवेदन करने में विफल रहने की दशा (मामले) में, सक्षम प्राधिकारी
आवेदक से ऐसे विलंब का कारण लिखित में अभिप्राप्त करने के पश्चात् ही
आवेदन की अनुज्ञा दे सकेगा। यह नवीकरण इस शर्त के अध्यधीन होगा कि
खान को पट्टेदार द्वारा पट्टा–विलेख के निबन्धन और शर्तों के अनुसार
विकसित किया गया है और उसके द्वारा मशीनरी, उपस्करों पर पर्याप्त निवेश
किया गया है और यह कि खान को वैज्ञानिक रीति से संचालित और विकसित
किया गया है तथा पट्टेदार नियमों के अधीन नियमित रूप से सरकारी देयों
को संदत्त कर रहा है।"

# (ख) उप-नियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:--

"(5) इन नियमों के अधीन सरकारी भूमि में प्रदान किए गए खन्न पट्टे का नवीकरण दस वर्ष की अधिकतम अविध के अध्यधीन रहते हुए पट्टे की मूल अविध से अनिधक एक या अधिक अविध के लिए किया जा सकेगा और इन नियमों के अधीन प्राइवेट भूमि में प्रदान किए गए खन्न पट्टे को एक या अधिक अविध के लिए नवीकृत किया जा सकेगा तथा नवीकरण की अविध का खन्न पट्टा क्षेत्र में उपलब्ध खनिज भंडार के अनुसार विनिश्चय किया जाएगा।"

## नियम 17 का 4. संशोधन।

उक्त नियमों के नियम 17 में,—

- (क) उक्त नियमों के उप—नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—
  - "(1) संयुक्त निरीक्षण समिति द्वारा किए गए संप्रेषण और संस्तुतियों के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक के पक्ष में, खन्न पट्टा प्रदान करने हेतु सम्बद्ध विभागों से अपेक्षित पर्यावरण और अन्य क्लिॲरॅन्स (मंजूरियां) प्राप्त

करने तथा अन्य अपेक्षित औपचारिकताओं को पूर्ण करने के लिए दो वर्ष की अवधि हेतु आशय-पत्र जारी किया जाएगा।

आशय—पत्र धारण करने वाला, उपरोक्त अवधि में अपेक्षित अनापत्ति प्राप्त करने में असफल रहने की दशा (मामले) में, आशय—पत्र की अवधि का और विस्तार का विनिश्चय, सक्षम प्राधिकारी द्वारा आशय—पत्र धारक द्वारा अपेक्षित अनापत्ति अभिप्राप्त करने के लिए दिए गए कारणों और प्रगति के पुनर्विलोकन करने के बाद किया जाएगा।"

- (ख) उक्त नियमों के उप—नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात्:—
  - "(4) नवीकरण की दशा में, पट्टे की नवीकरण अवधि, जब तक कि अन्यथा कथित न हो, खन्न पट्टे विलेख के नवीकरण के निष्पादन की तारीख से होगी।"

### नियम 19 का संशोधन।

5.

उक्त नियमों के नियम 19 में;—

(क) उप—िनयम (1) के खण्ड (क) के स्थान पर निम्निलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—
"(क) पट्टेदार को द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट रॉयलेटी के साथ—साथ पट्टा क्षेत्र से निकाले जाने वाले गौण खनिजों पर तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर ई०वी० प्रभार, ऑनलाईन प्रभार और दुग्ध उपकर का अग्रिम भुगतान करना होगा। तथापि, पट्टेदार द्वारा उद्योगों को चूना भट्ठा से अन्यथा, जब कभी भी चूना पत्थर की आपूर्ति की जाती है, तो पट्टेदार द्वारा चूने के लिए रॉयलेटी प्रमुख खनिज के रूप में, जो भी अधिक हो, संदत्त की जाएगी। पट्टेदार प्रत्येक वर्ष के लिए तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमाओं के अन्तर्गत ऐसा वार्षिक अनिवार्य भाटक (किराया) भी संदत्त करेगा जैसा सरकार द्वारा समय समय पर नियत किया जाए और यदि पट्टेदार एक ही क्षेत्र में एक से अधिक खनिज का कार्य अनुमत करता है तो सरकार ऐसे प्रत्येक गौण खनिजों की बाबत पृथक अनिवार्य भाटक (किराया) प्रभारित कर सकेगी:

परंतु पट्टेदार, प्रत्येक खनिज की बाबत या तो अनिवार्य भाटक या रॉयलेटी जो भी अधिकतर हो, संदत्त करने हेतु दायी होगा परंतु दोनों नहीं, तथापि, यदि सरकार द्वारा अपने स्तर पर खन्न प्रचालन स्थगित किया गया है तो वह अनिवार्य भाटक (किराया) या रॉयलेटी संदत्त करने हेतु दायी नहीं होगा।"

(ख) उक्त नियमों के उप नियमों के उप—नियम (15) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(15) (क) 80 हॉर्स पावर तक बैकहो वाले टायर मांउटिड लोडर की सहायता से नदी तल से खनिज का संग्रहण / उठाव यांत्रिक खनन नहीं माना जाएगा और ऐसे लोडर का उपयोग निदेशक की अनुज्ञा से ही प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट शुल्क और प्रतिभूति जमा किए जाने के पश्चात् अनुज्ञात किया जाएगा। निदेशक निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों के अधीन लोडर के प्रयोग की अनुज्ञा दे सकेगा:—

- (i) केवल खनिजों के संग्रहण और उठाव की ही अनुमित होगी;
- (ii) जल के प्राकृतिक बहाव को बाधित नहीं किया जाएगा;
- (iii) खनिज का संग्रहण वैज्ञानिक रीति से किया जाएगा;
- (iv) निदेशक द्वारा अधिरोपित की जाने वाली कोई अन्य शर्त;
- (v) ऐसी अनुज्ञा प्रदान करते समय अधिरोपित निबन्धनों और शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप अनुज्ञा के रद्दकरण से उसकी प्रतिभूति की रकम का समपहरण हो जाएगाः
- (ख) उत्खनक द्वारा, नदी तल से खनिजों का उत्खनन/खुदाई यांत्रिक खनन के रूप में मानी जाएगी, जिसके लिए खनिज रियायत धारक को प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट फीस और प्रतिभूति जमा करने के पश्चात् निदेशक से अनुज्ञा लेने से पूर्व सम्बद्ध विभागों से समस्त आवश्यक कानूनी अनापत्ति प्राप्त करनी होगी। निदेशक निम्नलिखित निबंधन और शर्तों के अधीन ऐसी अनुज्ञा जारी कर सकेगा:—
- (i) जल के प्राकृतिक बहाव को बाधित नहीं किया जाएगा;
- (ii) खनिज का उत्खनन/खुदाई, अनापत्ति में नियत शर्तों के अनुसार वैज्ञानिक रीति से की जाएगी;
- (iii) निदेशक द्वारा अधिरोपित की जाने वाली कोई अन्य शर्त;
- (iv) ऐसी अनुज्ञा प्रदान करते समय अधिरोपित निबन्धनों और शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप अनुज्ञा के रद्दकरण से उसकी प्रतिभूति की रकम का समपहरण हो जाएगाः
- (ग) पट्टा धारक भूवैज्ञानिक खंड (विंग) की अनुज्ञा और प्रथम अनुसूची में

		यथा विनिर्दिष्ट फीस तथा प्रतिभूति जमा करने के पश्चात् पहाड़ी ढलान खन्न
		में उत्खनन का उपयोग कर सकेगा।"
नियम 23 का	6.	उक्त नियमों के नियम 23 में (क) उप—नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा
संशोधन।		जाएगा, अर्थात्:—
		(क) "(2) कोई भी नीलामी या निविदा या संविदा तब तक सफल नहीं समझी
		जाएगी जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस पर स्वीकृति प्रदान न की गई
		हो। सफल बोली / निविदा की रकम दो वर्ष की अवधि के लिए सरकार को
		संविदाकार द्वारा संदेय वार्षिक संविदा रकम होगी और दो वर्ष की अवधि के
		पूर्ण होने के पश्चात् प्रारंभिक अनुदान के समय निर्धारित वार्षिक संविदा राशि
		को चकवृद्धि आधार पर प्रतिवर्ष दस प्रतिशत की दर से बढ़ाया जाएगा।
		प्राईवेट भूमि की बोली या निविदा की दशा में अस्सी प्रतिशत वार्षिक बोली
		रकम सतह अधिकार धारक / भूमि धारक को संदत्त की जाएगी;
		परन्तु अधिसूचित क्षेत्र में गौण खनिजों के विदोहन से सम्बन्धित,
		यथास्थिति, कोई नीलामी या निविदा या संविदा पर सरकार द्वारा तब तक
		मंजूरी के लिए विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि ग्राम सभा द्वारा संस्तुति
		न की गई हो।
		(ख) उप–नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–
		"(3) उप—नियम (2) के अधीन संविदाकार द्वारा सरकार को वार्षिक रूप से
		संदत्त की जाने वाली रकम बराबर रूप से अग्रिम त्रैमासिक किस्तों में संदेय
		होगी यदि वार्षिक संविदा रकम अनुमोदित खन्न योजना (प्लान) में कुल
		वार्षिक मात्रा के लिए संदेय रॉयलेटी से कम है, तो संविदाकार को खन्न
		योजना (प्लान) में अनुमोदित खनिज मात्रा की रॉयलेटी के साठ प्रतिशत के
		बराबर रकम या जो भी अधिक हो संदत्त करनी होगी:
		परंतु संविदाकार, सरकार द्वारा, समय–समय पर, यथा अधिसूचित
		वार्षिक संविदा रकम के अतिरिक्त समस्त लागू दरों, फीस और उपकर को भी
		संदत्त करेगा।"
		(ग) उप–नियम–(६) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–
		"(6) (क) अस्सी हॉर्स पावर तक बैकहो के साथ टायर माउंटेड लोडर की
		सहायता से नदी तल से खनिज का संग्रहण / उठाव यांत्रिक खनन नहीं माना

जाएगा और ऐसे लोडर का उपयोग, निदेशक की अनुज्ञा से ही प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट फीस और प्रतिभूति जमा करने के पश्चात अनुज्ञात किया जाएगा। निदेशक निम्नलिखित निबंधन शर्तों के अधीन ऐसी अनुज्ञा जारी कर सकेगा:—

- (i) केवल खनिजों के संग्रहण और उठाव की ही अनुमति होगी;
- (ii) जल के प्राकृतिक बहाव को बाधित नहीं किया जाएगा;
- (iii) खनिज का संग्रहण वैज्ञानिक रीति से किया जाएगा;
- (iv) निदेशक द्वारा अधिरोपित की जाने वाली कोई अन्य शर्त;
- (v) ऐसी अनुज्ञा प्रदान करते समय अधिरोपित निबन्धनों और शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप अनुज्ञा के रद्दकरण से उसकी प्रतिभूति की रकम का समपहरण हो जाएगा;
- (ख) उत्खनक द्वारा, नदी तल से खनिजों का उत्खनन/खुदाई यान्त्रिक खनन के रूप में माना जाएगा, जिसके लिए खनिज रियायत धारक को प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट शुल्क और प्रतिभूति जमा करने के पश्चात् निदेशक से अनुज्ञा लेने से पूर्व सम्बन्द्ध विभागों से समस्त आवश्यक कानूनी अनापित प्राप्त करनी होगी। निदेशक निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों के अधीन ऐसी अनुज्ञा जारी कर सकेगा:—
- (i) जल के प्राकृतिक बहाव को बाधित नहीं किया जाएगा;
- (ii) खनिज का उत्खनन/खुदाई, अनापित्त में नियत शर्तों के अनुसार वैज्ञानिक रीति से की जाएगी;
- (iii) निदेशक द्वारा अधिरोपित की जाने वाली कोई अन्य शर्त;
- (iv) ऐसी अनुज्ञा प्रदान करते समय अधिरोपित निबन्धनों और शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप अनुज्ञा के रद्दकरण से उसकी प्रतिभूति की रकम का समपहरण हो जाएगाः
- (ग) पट्टाधारक, भूवैज्ञानिक खंड (विंग) की अनुज्ञा और प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट फीस तथा प्रतिभूति जमा करने के पश्चात् पहाड़ी ढलान में उत्खनक का उपयोग कर सकेगा।"
- (घ) उप-नियम (८) का लोप किया जाएगा।

नियम 23 क		उक्त नियमों के नियम 23 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा,
का अंतःस्थापन।		अर्थात्:-
		"23.क संविदा का अंतरण—
		(1) संविदाकार, सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से अपने संविदा या इसमें किसी
		अधिकार, हक या हित को, किसी व्यक्ति या निकाय जो प्रत्यक्षतः खन्न प्रचालन कर
		रहा है, सम्बद्ध खन्न अधिकारी से कोई खनन बकाया न होने का विधिमान्य प्रमाण
		पत्र धारक है को प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट राशि के संदाय पर समनुदेशित,
		शिकमी देना या अंतरणी कर सकेगा।
		(2)आवेदक, किसी व्यक्ति जो सम्बद्ध खन्न अधिकारी से कोई खन्न बकाया न होने
		का विधिमान्य प्रमाणपत्र धारक है के हित में पहले से ही जारी 'आशय पत्र' या
		'मंजूरी आदेश' के शीर्षक (हक) या नाम को भी प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट
		रकम के संदाय पर भी परिवर्तित कर सकेगा।
		(3) जहां उप—नियम (1) के अधीन संविदा के अंतरण हेतु आवेदन किया जाता है
		और जहां सक्षम प्राधिकारी नें ऐसी संविदा के अंतरण के लिए अनुमोदन दे दिया है
		वहां अंतरण करार विलेख 'प्ररूप ञ' पर आदेश के जारी होने की तारीख के तीन
		मास या ऐसी और अवधि जैसी मंजूरी प्राधिकारी इस निमित अनुज्ञात करने के भीतर
		मूल करार विलेख की उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर निष्पादित किया जाएगा;
		परंतु अंतरिती नीलामी / निविदा और मूल करार विलेख के समस्त निबंधनों
		और शर्तों द्वारा आबद्ध और उनका पालन ऐसे करेगा जैसे अंतरक करता है:
		परंतु यह और कि संविदा पर प्रदान किया गया क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के
		भीतर व्यक्तिगत रूप से अंतरिती या किसी व्यक्ति के साथ संयुक्त हित के लिए सौ
		(100) हैक्टेयर से अधिक नहीं होगा।"
नियम 29, 30,31 और 32 का लोप।	7.	उक्त नियमों के नियम 29,30, 31 और 32 का लोप किया जाएगा।
नियम ३३ का	8.	उक्त नियमों के नियम 33 में,—
संशोधन।		(क) उप–नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–
		"(1) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, निदेशक या इस निमित्त उसके
		द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी विभिन्न विकासात्मक कार्यकलापों और
		प्राकृतिक आपदाओं के दौरान उत्पादित गौण खनिजों को विनिर्दिष्ट प्रयोजन

तथा अविध के लिए उठाने / उनका परिवहन करने के लिए अनुज्ञा प्रदान कर सकेगा। अनुज्ञा, तहसीलदार, सहायक अभियन्ता (लोक निर्माण विभाग) और खनन् अधिकारी, जो इनके भण्डार की उपलब्धता का निर्धारण भी कर सकेगा, से गठित समिति द्वारा स्थल का निरीक्षण करने के पश्चात् प्रदान की जाएगी। स्पष्टीकरण:—(1) इस नियम के प्रयोजन के लिए विकासात्मक कार्यकलापों से जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सुरंगों का उत्खनन, सड़कों / रेलपथों और विभिन्न राष्ट्रीय उच्च मार्गों / राज्य उच्च मार्गों की संयोजकता के लिए सुरंगों का सिन्नर्माण, जलाशय से गाद निकालना, मानसून के मौसम के पश्चात् कृषि क्षेत्रों और घास वाली भूमि में से दो मीटर गहराई तक रेत और बजरी को हटाना, प्लॉटों का विकास, मतस्य पालन तालाबों का उत्खन्न और किसी अन्य प्रकार के विकासात्मक कार्यकलाप अभिप्रेत हैं।

परंतु अनुमोदित जलविद्युत परियोजनाओं के निष्पादन के दौरान, राष्ट्रीय राजमार्ग / एक्सप्रेस मार्ग, राज्य राजमार्ग / हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग की सड़क की कटिंग से उत्पन्न सामग्री के मामले में, जलाशय से गाद निकालना, संविदाकार द्वारा लगाए हुए उप—संविदाकार या सम्बद्ध अभिकरण, तृतीय अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट प्रसंस्करण प्रभार के साथ रॉयलेटी का संदाय करने के पश्चात सम्बद्ध अभिकरण के प्रतिनिधि सहित सम्बद्ध खनन् अधिकारी, जो सहायक अभियंता की पंक्ति से नीचे का न हो या समकक्ष द्वारा स्टॉक के सत्यापन के पश्चात ऐसी सामग्री का उपयोग कर सकेगा।

परंतु यह कि यदि संविदाकार द्वारा लगाए हुए उप—संविदाकार या सम्बद्ध अभिकरण को परियोजना के निष्पादन के दौरान इस प्रकार उत्पन्न सामग्री की पूर्ण मात्रा की आवश्यकता नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी, इस उप—नियम में विनिर्दिष्ट समिति द्वारा मात्रा के सत्यापन के पश्चात् सम्बद्ध अभिकरण की सहमति से पांच किलोमीटर के दायरे में किसी भी हितबद्ध व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामग्री के उपयोग के लिए रॉयलेटी, प्रसंस्करण और लागू करों के संदाय पर अनुमति दे सकेगाः

परंतु यह और भी कि पांच किलोमीटर की दूरी की यह शर्त लागू नहीं होगी यदि समिति अधिकतम दस किलोमीटर की दूरी के अध्यधीन रहते हुए विशिष्ट स्थल शर्तों पर विचार और परीक्षण करते हुए पांच किलोमीटर के

		दायरे से परे सामग्री का उपयोग करने की व्यवहार्यता की सिफारिश करती है।"
		(ख) उप–नियम (2) के खण्ड (i) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–
		"(i) विक्रय योग्य खनिज पर रॉयल्टी तृतीय अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट
		प्रसंस्करण प्रभारों सहित द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार अग्रिम में
		प्रभारित की जाएगी।"
नियम ३४ का	9.	उक्त नियमों के नियम 34 के खण्ड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा,
संशोधन।		अर्थात्:—
		"(iv) नदी–तल में खनन् की गहराई दो मीटर या जल स्तर, जो भी कम हो,
		से अधिक नहीं होगी:
		परंतु जहां संयुक्त निरीक्षण समिति अपेक्षित सरणिकरण वाले
		कतिपय स्थानों में खनिज के अत्यधिक जमाव या अधिक ढेर के सम्बन्ध में
		प्रमाणित करती है तो यह नदी के निश्चित स्थानों पर तीन मीटर तक हो
		सकेगा।"
नियम ७५ का	10.	उक्त नियमों के नियम—75 के उप—नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित
संशोधन।		किया जाएगा, अर्थात्:—
		"(3) कोई भी व्यवहारी एक मास में पांच सौ मीट्रिक टन से अधिक गौण सामग्री
		का उपापण, भंडारण या विक्रय नहीं करेगा।"
नियम 78 का	11.	उक्त नियमों के नियम 78 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-
प्रतिस्थापन ।		
		"78. अवैध भण्डारण हेतु शस्तिक उपबंध,— नियम 75 के उप—नियम (1), (2)
		"78. अवैध भण्डारण हेतु शस्तिक उपबंध,— नियम 75 के उप—नियम (1), (2) और (3) का कोई उल्लंघन कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक होगी या
		(,, (,,
		और (3) का कोई उल्लंघन कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक होगी या
		और (3) का कोई उल्लंघन कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक होगी या जुर्माने से जो 50,000 रूपये (पचास हजार रूपये) तक हो सकेगा या दोनों से
		और (3) का कोई उल्लंघन कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक होगी या जुर्माने से जो 50,000 रूपये (पचास हजार रूपये) तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगाः
		और (3) का कोई उल्लंघन कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक होगी या जुर्माने से जो 50,000 रूपये (पचास हजार रूपये) तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगाः परंतु नियम 75 के उप—नियम (1), (2) और (3) के प्रथम और

		किया जा सकेगाः					
		परंतु यह और कि प्रशमन फीस की रकम कम से कम 50,000/-					
		रूपए जमा स्थल पर अवैध रूप से भण्डार की गई कुल सामग्री के बाजार					
		विक्रय मूल्य से कम नहीं होगी।"					
	40						
प्ररूप— 'च' का	12.	उक्त नियमों में प्ररूप—'च' के भाग—2 के क्रम संख्या 4 के स्थान पर निम्नलिखित					
संशोधन।		रखा जाएगा, अर्थात्:—					
		"4. अस्सी होर्स पावर तक बैकहो के साथ टायर माउंटेड लोडर की सहायता से					
		नदी तल से खनिज का संग्रहण/उठाव यांत्रिक खन्न नही माना जाएगा और					
		ऐसे लोडर का उपयोग इन नियमों में यथा विनिर्दिष्ट शर्तों सहित प्रथम					
		अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट शुल्क और प्रतिभूति का निक्षेप किए जाने के पश्चात्					
		निदेशक की अनुज्ञा से ही अनुज्ञात किया जाएगा।					
		उत्खनक द्वारा, नदी के तल से खनिजों का उत्खनन/खुदाई					
		यांत्रिक खन्न के रूप में माना जाएगा, जिसके लिए खनिज रियायत धारक को					
		नियमों में यथा विनिर्दिष्ट शर्तों सहित प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट शुल्क					
		और प्रतिभूति जमा करने के पश्चात् निदेशक से अनुज्ञा लेने से पूर्व सम्बद्ध					
		विभागों से समस्त आवश्यक कानूनी अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।					
		पट्टा धारक, भूवैज्ञानिक खंड (विंग) की अनुज्ञा सहित और प्रथम					
		अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट शुल्क तथा प्रतिभूति जमा करने के पश्चात् पहाड़ी					
		ढलान खन्न में उत्खनक का प्रयोग कर सकेगा।"					
प्ररूप —'ञ' का	13.	उक्त नियम में प्ररूप—'ञ' के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात्:—					
प्रतिस्थापन।		"प्ररूप—'ञ'					
		(नियम २१(३) और २३–क देखें)					
		खनन पट्टा करार के अन्तरण हेतु प्ररूप					
		खनन पट्टे के अन्तरण की दशा में					
		जब अंतरक एक व्यष्टि है। यह करार स्वयं					
		पक्षकार के रूप में श्री (पते और व्यवसाय सहित व्यक्ति का					
		नाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात् अंतरक कहा गया है और इस पद के					
		अंतर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल है इसके वारिस, प्रशासक, प्रतिनिधि और					
		अनुज्ञेय समनुदेशिती समझे जाएंगे)					

जब अन्तरक एक व्यष्टि से अधिक है ......(पते और व्यवसाय सहित व्यक्ति का नाम) जिसे इसमें इसके पश्चात् "अंतरक" कहा गया है और इस पद के अंतर्गत, जहां संदर्भ के अनुकूल है, इनके अपने–अपने वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञेय समनुदेशिती भी समझे जाएंगे। जब अन्तरक एक रजिस्ट्रीकृत फर्म है .....।(समस्त भागीदारों के पते सहित व्यक्ति का नाम) भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अधीन रजिस्ट्रीकृत फर्म के नाम और अभिनाम के अधीन भागीदारों में कारोबार करने वाली...... (फर्म का नाम) और ... .....में अपना रजिस्ट्रीकृत कार्यालय रखने वाली (जिसे इसमें इसके पश्चात् अन्तरक कहा गया है और इस पद के अंतर्गत, जहां संदर्भ के अनुकूल है उक्त समस्त भागीदार इनके अपने-अपने वारिस, निष्पादक, विधिक प्रतिनिधि और अनुज्ञेय समुदेशिती भी समझे जाएंगे)। जब अन्तरक एक रजिस्ट्रीकृत कम्पनी है ......(कम्पनी का नाम) कम्पनी द्वारा सम्मयक रूप से प्राधिकृत जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ...... (पता) में है..... के माध्यम से कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन नियमित और प्रथम पक्षकार के रूप में कम्पनी (जिसे इसमें इसके पश्चात "अन्तरक" कहा गया है और इसके अंतर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल, इसके उत्तराधिकारी और अनुज्ञेय समनुदेशिती भी है समझे जाएंगे)। और जब अंतरिती एक व्यष्टि है......। (पते और व्यवसाय सहित व्यष्टि का नाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात् अंतरिती कहा गया है और इस पद के अंतर्गत, जहां संदर्भ के अनुकूल है इसके वारिस, निष्पादक प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञेय समनुदेशिती भी समझे जाएंगे)। जब अंतरिती एक वयष्टि से अधिक है...... (पते और व्यवसाय सहित व्यक्ति का नाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अंतरिती" कहा गया है और इस पद के अंतर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल है इनके अपने अपने वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञेय समनुदेशिती भी समझे जाएंगे)।

जब अन्तरिती एक रजिस्ट्रीकृत फर्म है .....।(समस्त भागीदारों के पते सहित व्यक्ति का नाम) भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अधीन रजिस्ट्रीकृत और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय है फर्म के नाम और अभिनाम के अधीन भागीदारों में कारोबार करने वाली...... (फर्म का नाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अन्तरिती" कहा गया है और इस पद के अंतर्गत, जहां संदर्भ के अनुकूल है उक्त समस्त भागीदार उनके अपने-अपने वारिस, निष्पादक, विधिक प्रतिनिधि और अनुज्ञेय समुदेशिती भी समझे जाएंगे)। जब अन्तरिती एक रजिस्ट्रीकृत फर्म है .....। (कम्पनी का नाम) अधिनियम जिसके अधीन निगमित है, के अधीन रजिस्ट्रीकृत और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय है .....(पता) में है कम्पनी द्वितीय पक्षकार के रूप में कम्पनी (जिसे इसमे इसके पश्चात् "अन्तरिती" कहा गया है और इस पद के अंतर्गत, जहां संदर्भ के अनुकूल है इसके उत्तराधिकारी और अनुज्ञेय समुदेशिती भी समझे जाएंगे) दूसरे पक्षकार के रूप में कम्पनी और तीसरे पक्षकार के रूप में राज्यपाल के माध्यम से इसके पश्चात् .......... .(जिन्हें इसके राज्य सरकार कहा गया है और इस पद के अंतर्गत, जहां संदर्भ के अनुकूल है उत्तराधिकारी और समुदेशिती भी समझे जाएंगे) के बीच आज तारीख...... को किया गया। राज्य सरकार (जिसे इसमें पट्टा कर्ता, कहा गया है) और अंतरक (जिसे इसमें पट्टेदार कहा गया है) के मध्य सब-रजिस्ट्रार के कार्यालय....... ..... में (स्थान) और जिसकी मूल प्रति इसकी साथ संलग्न है और जो क चिन्हित की गई है, तारीख..... को हुए और ..... (तारीख) को ...... संख्या के रूप में रजिस्ट्रीकृत पट्टे के करार के आधार पर, अन्तरक, उसकी अनुसूची में और इससे संलगन अनुसूची में भी वर्णित भूमि में ...... (खनिज) (खनिजों) का नाम की बाबत अवधि के लिए और भाटक और रॉयलेटी के संदाय और संरक्षित और अन्तग्रस्त पट्टा के उक्त विलेख में पट्टेदार की प्रसंविदा और शर्तों के अनुपालन और निष्पादन के अध्यधीन तथा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृत के बिना उसके अधीन पट्टे या किसी हित को समन्देशित न करने की प्रसंविदा सहित खानों और खनिजों का अनुसंधान करने, प्राप्त करने और संकर्म करने का हकदार है।

यह विलेख इस बात का साक्षी है कि:-

- 1. अंतरिती, राज्य सरकार के साथ एतद् द्वारा प्रसंविदा करता है कि पट्टे के अन्तरण और समनुदेशन से और इसके पश्चात्, अंतरिती, इसमें इसके पूर्व परिवर्णित उक्त पट्टे में अंतविष्ट समस्त प्रसंविदाओं, अनुबंधों और शर्तों के समस्त उपबंधों के अध्यधीन होगा और उनके निष्पादन, अनुपालन और अनुरूप के लिए उसी रीति में सभी प्रकार से बाध्य और दायी होगा, मानो अंतरिती को पट्टा उसके अधीन पट्टेदार के तौर पर प्रदान किया गया है और उसने इसे मूल रूप से इस प्रकार निष्पादित किया है।
- 2. इसके अतिरिक्त एक पक्षकार के रूप में अंतरक द्वारा और दूसरे पक्षकार के रूप में अंतरिती द्वारा एतद्, द्वारा यह भी करार पाया गया है और घोषित किया जाता है कि—
- (i) अंतरक और अंतरिती घोषणा करते हैं कि उन्होंने सुनिश्चित किया है कि उस क्षेत्र पर, जिसके लिए खनन पट्टा अंतरित किया जा रहा है, खनिज अधिकार राज्य सरकार में निहित है।
- (ii) अंतरक एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उसने खनन पट्टा जो अब अंतरित किया जा रहा है, को समनुदेशित, सबलेट, बंधक या किसी अन्य रीति में अंतरिती नहीं किया है और यह कि अन्तरित किए जा रहे विद्यमान खनन पट्टे के अधीन किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का कोई अधिकार, हक या हित नहीं है।
- (iii) अंतरक यह भी घोषणा करता है कि उसने ऐसे कोई करार, संविदा या समझौता नहीं किया है जिसके द्वारा वह प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः किसी

स्थायी विस्तार तक वित्तपोषित हो या जिसके अंतर्गत अन्तरक का परिचालन अथवा समझौते, अन्तरक से अथवा किसी व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा स्थायी रूप से नियन्त्रित किए जा रहे थे / किए जा रहे हैं। अंतरिती एतद् द्वारा घोषणा करता है कि उसने उन समस्त शर्तों और दायित्वों को स्वीकार कर लिया है जो ऐसे संविदा की बावत अंतरक के पास थे।

- (v) अंतरिती यह भी घोषणा करता है कि वित्तीय रूप से समर्थ है और खनन परिचालनों को प्रत्यक्षतः जिम्मा लूगा।
- (vi) अंतरिती यह भी घोषणा करता है कि उसने यह कथन करते हुए शपथ-पत्र दाखिल कर दिया है कि उसने अद्यतन आय कर विवरणियां दाखिल कर दी हैं।
- (vii) अंतरक ने अंतरिती को क्षेत्र में संकर्मों की समस्त योजनाओं की मूल या अनुप्रमाणित प्रतियां दे दी हैं।
- (viii) अंतरक ने इस संविदा की बाबत आज की तारीख तक सरकार को समस्त भाटक, रॉयलेटी और अन्य देय संदत्त कर दिए हैं।

इसके साक्ष्यस्वरूप पक्षकारों ने उपरोक्त लिखित तारीख और वर्ष को इस पर अपने—अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

## अनुसूची

(iv)

संविदा की अवस्थिति और क्षेत्र

रिजस्ट्रीकरण जिला उप जिला
और थाना में (क्षेत्र या क्षेत्रों का विवरण) पर स्थित
भूकर सर्वेक्षण संख्याओं वाली क्षेत्र से अंतर्ग्रस्त भूमि
के भू–भागों को इससे संलग्न योजना पर उसके सम्बन्ध में अंकित कर दिय
गया है और उसे निम्न प्रकार से रंगीन और सीमांकित कर दिया है:-
उत्तर मेंद्वारा
दक्षिण मेंद्वारा
पूर्व मेंद्वारा और
पश्चिम मेंद्वारा

साक्षियों की उपस्थिति में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से
हस्ताक्षर किए
साक्षी
1.
2.
1. साक्षियों की उपस्थिति में अंतरक के हस्ताक्षर
2.
1. सक्षियों की उपस्थिति में अंतरिती के हस्ताक्षर
2.
या
संविदा के अन्तरण की दशा में
जब अंतरक एक वयष्टि है। यह करार स्वयं
पक्षकार के रूप में श्री(पते और व्यवसाय सहित व्यक्ति का नाम)
(जिसे इसमें इसके पश्चात् "अंतरक" कहा गया है और इस पद के अंतर्गत,
जहां संदर्भ के अनुकूल है इसके वारिस, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञेय
समनुदेशिती भी समझे जाएंगे)।
जब अंतरक एक वयष्टि से अधिक है (पते और व्यवसाय
सहित व्यक्ति का नाम) जिसे इसमें इसके पश्चात् "अंतरक" कहा गया है
और इस पद के अंतर्गत, जहां संदर्भ के अनुकूल है, इसके अपने वारिस,
निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञेय समनुदेशिती भी समझे जाएंगे)।
जब अंतरक एक रजिस्ट्रीकृत फर्म है।(समस्त
भागीदारों के पते सहित व्यक्ति का नाम) भारतीय भागीदारी अधिनियम,
1932 (1932 का 9) के अधीन रिजस्ट्रीकृत फर्म के नाम और अभिनाम के
अधीन भागीदारों में कारोबार करने वाली (फर्म का नाम) और
में अपना रजिस्ट्रीकृत कार्यालय रखने वाली (जिसे इसमे इसके
पश्चात् "अन्तरक" कहा गया है और इस पद के अंतर्गत जहां संदर्भ के
अनुकूल है उक्त समस्त भागीदार इनके अपने—अपने वारिस, निष्पादक,
विधिक, प्रतिनिधि और अनुज्ञेय समनुदेशिती भी समझे जाएंगे)।
जब अंतरक एक रजिस्ट्रीकृत कम्पनी है

(कम्पनी का नाम) कम्पनी द्वारा सम्मयक रूप से प्राधिकृत जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय है .....(पता) में है ..... के माध्यम से कम्पनी कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन नियमित और प्रथम पक्षकार के रूप में कम्पनी (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अंतरक" कहा गया है और इसके अंतर्गत, जहां संदर्भ के अनुकूल, इसके उत्तराधिकारी और अनुज्ञेय समुदेशिती भी हैं समझे जायेंगे और जब अंतरिति एक वयष्टि है....... ......। (पते और व्यवसाय सहित वयष्टि का नाम ) (जिसे इसके पश्चात "अंतरिती" कहा गया है और इस पद के अंतर्गत, जहां संदर्भ में अनुकूल है इसके वारिस, प्रशासक, निष्पादक, प्रतिनिधि और अनुज्ञेय समनुदेशिती भी समझे जाएंगे)। जब अंतरिती एक वयष्टि से अधिक है...... (पते और व्यवसाय सहित व्यक्ति का नाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अंतरिती" कहा गया है और इस पद के अंतर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल है इसके अपने वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञेय समनुदेशिती भी समझे जाएंगे)। जब अंतरिती एक रजिस्ट्रीकृत फर्म है .....।(समस्त भागीदारों के पते सहित व्यक्ति का नाम) भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अधीन रजिस्ट्रीकृत और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय है फर्म के नाम और अभिनाम के अधीन भागीदारी में कारबार करने वाली ......(फर्म का नाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात "अंतरिती" कहा गया है और इस पद के अंतर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल है उक्त समस्त भागीदार उनके अपने–अपने वारिस, निष्पादक, विधिक, प्रतिनिधि और अनुज्ञेय समनुदेशिती भी समझे जाएंगे)। जब अंतरिती एक रजिस्ट्रीकृत कम्पनी है ......। अधिनियम जिसके अधीन निगमित है) के अधीन (कम्पनी का नाम) रजिस्ट्रीकृत और जिसकार जिस्ट्रीकृत कार्यालय है ......(पता) में है कम्पनी द्वितीय पक्षकार के रूप में कम्पनी (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अंतरिती" कहा गया है और इस पद के अंतर्गत, जहां के अनुकूल है, इसके उत्तराधिकारी और अनुज्ञेय समुदेशिती भी समझे जायेंगे) दूसरे पक्षकार के रूप में कम्पनी और तीसरे पक्षकार के रूप में राज्यपाल के माध्यम से इसके

पश्चात्...... (जिन्हे इसमें "राज्य सरकार" कहा गया है और इस पद के अंतर्गत पक्षकार जहां संदर्भ में अनुकूल है उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी समझे जाएंगे) के बीच आज तारीख...... को किया गया।

यह विलेख इस बात का साक्षी है कि:-

अंतिरती, राज्य सरकार के साथ एतद् द्वारा प्रसंविदा करता है कि पट्टे के अन्तरण और समनुदेशन से और इसके पश्चात, अंतिरती, इसमें इसके पूर्व पिरवर्णित उक्त पट्टे में अंतिर्विष्ट समस्त प्रसंविदाओं, अनुबंधों और शर्तों के समस्त उपबंधों के अध्यधीन होगा और उनके निष्पादन, अनुपालन और अनुरूप के लिए उसी रीति में सभी प्रकार से बाध्य और दायी होगा, मानों

- अंतरिती को पट्टा उसके अधीन पट्टेदार के तौर पर प्रदान किया गया है और उसने इसे मूल रूप से इस प्रकार निष्पादित किया है।
- 2. इसके अतिरिक्त एक पक्षकार के रूप में अंतरक द्वारा और दूसरे पक्षकार के रूप में अंतरिती द्वारा एतद्, द्वारा यह भी करार पाया गया है और घोषित किया जाता है कि—
  - अंतरक और अंतरिती घोषणा करते हैं कि उन्होंने सुनिश्चित किया है कि उस क्षेत्र पर, जिसके लिए खनन पट्टा अंतरित किया जा रहा है, खनिज अधिकार राज्य सरकार में निहित है।
  - ॥. अंतरक एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उसने खनन पट्टा जो अब अंतरित किया जा रहा है, को समनुदेशित, सबलेट, बंधक या किसी अन्य रीति में अंतरिती नहीं किया है और यह कि अन्तरित किए जा रहे विद्यमान खनन पट्टे के अधीन किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का कोई अधिकार, हक या हित नहीं है।
  - आंतरक यह भी घोषणा करता है कि उसने ऐसे कोई करार, संविदा या समझौता नहीं किया है जिसके द्वारा वह प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः किसी स्थायी विस्तार तक वित्तपोषित हो या जिसके अंतर्गत अन्तरक का परिचालन अथवा समझौते, अन्तरक से अथवा किसी व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा स्थायी रूप से नियन्त्रित किए जा रहे थे/किए जा रहे हैं।
  - IV. अंतरिती एतद् द्वारा घोषणा करता है कि उसने उन समस्त शर्तों और दायित्वों को स्वीकार कर लिया है जो ऐसे संविदा की बावत अंतरक के पास थे।
  - v. अंतरिती यह भी घोषणा करता है कि वित्तीय रूप से समर्थ है और खनन परिचालनों को प्रत्यक्षतः जिम्मा लूंगा।
  - VI. अंतरिती यह भी घोषणा करता है कि उसने यह कथन करते हुए शपथ-पत्र दाखिल कर दिया है कि उसने अद्यतन आय कर विवरणियां दाखिल कर दी है।
  - VII. अंतरक ने अंतरिती को क्षेत्र में समस्त योजनाओं की मूल या अनुप्रमाणित प्रतियां दे दी है।

VIII. अंतरक ने इस संविदा की बाबत आज की तारीख तक सरकार को
समस्त भाटक, रॉयलेटी और अन्य देय संदत्त कर दिए हैं।
इसके साक्ष्यस्वरूप पक्षकारों ने उपरोक्त लिखित तारीख और वर्ष को
इस पर अपने—अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।
<u>अनुसूची</u>
संविदा की अवस्थिति और क्षेत्र
रिजस्ट्रीकरण जिलाउप जिला
(क्षेत्र या क्षेत्रों का विवरण)
पर स्थित भूकर सर्वेक्षण संख्याओं वाली क्षेत्र
से अंतर्ग्रस्त भूमि के समस्त भू—भागों को इससे संलग्न योजना पर उसके
सम्बन्ध में अंकित कर दिया गया है और उसे निम्न प्रकार से रंगीन और
सीमांकित कर दिया है:
उत्तर मेंद्वारा
दक्षिण मेंदारा
पूर्व मेंद्वारा और
पश्चिम मेंद्वारा
   साक्षियों की उपस्थिति में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से
हस्ताक्षर किए
साक्षी
1.
2.
साक्षियों की उपस्थिति में अंतरक के हस्ताक्षर
1.
2.
1.
2. "

प्ररूप 'ट' का	14.	उक्त नियमों के प्ररूप 'ट' के भाग—IV की क्रम संख्या (21) के स्थान पर								
संशोधन।		निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–								
		"21. 80 (अस्सी) हॉर्सपावर तक के बैकहो के साथ टायर माउंटेड लोडर की								
		सहायता से नदी तल से खनिज का संग्रहण/उठाव यांत्रिक खनन नहीं माना								
		जाएगा तथा ऐसे लोडर का उपयोग निदेशक की अनुमति से ही नियमों के								
		विनिर्दिष्ट शर्तों के साथ प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट शुल्क (फीस) और								
		प्रतिभूति जमा करने के पश्चात् किया जाएगा।								
		उत्खनन के साथ नदी तल से खनिजों का उत्खनन/खुदाई को								
		यांत्रिक खनन के रूप में माना जाएगा, जिसके लिए खनिज रियायत धारक को								
		नियमों में यथा विनिर्दिष्ट शर्तों के साथ प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट फीस								
		(शुल्क) और प्रतिभूति जमा करने के पश्चात् निदेशक से अनुमति लेने से पूर्व								
		संबंधित विभागों से समस्त आवश्यक कानूनी अनुमति प्राप्त करनी होगी।								
		पट्टाधारक, भूवैज्ञानिक (विंग) की अनुमति से तथा प्रथम अनुसूची में								
		यथा विनिर्दिष्ट फीस (शुल्क) और प्रतिभूति जमा करने के पश्चात् पहाड़ी ढलान								
		खनन में उत्खनक का उपयोग कर सकेगा।"								
अनुज्ञा पत्र (परमिट) से प्ररूप—'ठ'	15.	उक्त नियम से संलग्न प्ररूप 'ठ' का लोप किया जाएगा।								
का लोप										
प्रथम अनुसूची का संशोधन।	16.	उक्त नियमों से संलग्न प्रथम अनुसूची के क्रम संख्या 2,4,5,6,7,9,11,12,13,14 और								
पग सरावना		15 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:— नियमों की अधीन अपेक्षित फीस								
		कम नियम विशिष्टियां फीस(रूपयो में)								
		संख्या								
		2								
		4 19(15) और नदी तल से यांत्रिक पचास लाख रूपये 23(6) खनन हेतु आवेदन (क्र. 50.00.000 / )								
		फ <del>िर</del> फीस (१७० 50,00,000 / —)								
		10 हैक्टेयर क्षेत्र हेतु दो (02) वर्ष की अवधि के लिए और उसके पश्चात् 10 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए आनुपातिक आधार पर								
		एक लाख रूपये (रू0 1,00,000 ∕ −) प्रति								

 Г	1	T	
			हैक्टेयर (अप्रतिदेय)
		नदी तल में यांत्रिक खनन के लिए प्रतिभूति	दो (02) वर्ष की अवधि के लिए पच्चीस लाख रूपये (रू0 25,00,000 / —)
		पहाड़ी ढलान में यांत्रिक खनन के लिए आवेदन फीस	. ,
		यांत्रिक खनन के लिए प्रतिभूति	₹50 2,00,000 / -
		बैकहो के साथ 80 हॉर्स पावर तक के टायर माउंटेड लोडर के लिए आवेदन फीस	
		बैकहों से साथ 80 हॉर्स पावर तक के टायर माउंटेड फंट एंड लोडर के लिए प्रतिभूति	₹0 2,50,000 / —
5	21(1) और	खनन पटटे के	खनन पट्टे के मामले में:-
	23 (क)	अंतरण और संविदा के अंतरण के लिए फीस	5 हैक्टेयर क्षेत्र तक रू0 2,50,000/— (अप्रतिदेय) और उसके पश्चात् आनुपातिक आधार पर 5 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए रू0 50,000/— प्रति हैक्टेयर।
			नीलामी / निविदा के मामले में:
			5 हैक्टेयर क्षेत्र तक रू० 5,00,000/— (अप्रतिदेय) और उसके पश्चात् आनुपातिक आधार पर 5 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए रू० 1,00,000/— प्रति हैक्टेयर।
6	21(2) और 23 (क)	आशय पत्र और मन्जूरी आदेश के अंतरण और संविदा के अंतरण के लिए फीस	खनन पट्टे के मामले में:— रू० 1,00,000 /— (अप्रतिदेय) 5 हैक्टेयर क्षेत्र तक और उसके पश्चात् आनुपातिक आधार पर 5 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए रू० 20,000 /— प्रति हैक्टेयर।
			नीलामी / निविदा के मामले में:— 5 हैक्टेयर क्षेत्र तक रू० 2,50,000 / —
			(अप्रतिदेय) और उसके पश्चात् आनुपातिक आधार पर 5 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए

					रू0 50,00	00/-	प्रति हैक्टेयर।			
		7	29(3)	अनुज्ञा पत्र (परमि के लिए आवे फीस		ग्रा गया	I			
		9	40(2)	खनन योजना उपान्तरण हेतु फी		00/-				
		11	60	अपील करने लिए फीस	के रू० 5,000	0 / –(3	मप्रतिदेय)			
		12	68(2)	स्टोन कशर स्थ का संयुक्त निरीक्ष करने हेतु आवेष फीस	<b>ा</b> ण	रू० २०,००० / —(अप्रतिदेय)				
		13	69(1)	स्टोन कशर स्थायी रजिस्ट्रीक हेतु आवेदन फीस	रण .	रू० 25,000 / —(अप्रतिदेय)				
		14	74 (2) (क)	व्यौहारी के रूप रजिस्ट्रीकरण आवेदन फीस	में रू० 2,50, हेतु	,000 / -	–(अप्रतिदेय)			
		15	77		के रू० 2,50, हेतु	,000 / -	-			
तृतीय अनुसूची	17	उक्त नि	नेयमों से संल	ग्न तृतीय अनुसू	ग्री में;					
का संशोधन		(क) क्रम संख्या 1 क भाग–ख के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:–								
		"ख. सरकारी भूमि हेतु सतही भाटक की रूपयों में दरें प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष								
		(नियम	19 (1) (ঘ) ব	देखें)						
		क्रम सं0	गौण खनिर	ज का नाम		सतर्ह	ो भाटक की दर			
		1	समस्त गौप	ग खनिज		रू0 हैक्टे	50,000 / — प्रति र			
		अंतःस्था	पित किया ज	गएगा, अर्थातः–	O at		—ख के पश्चात् ि	नेम्नलिखित		
		"ग. उपकर और अन्य प्रभार (नियम 19 (1) (क) और 33 (2) (i) देखें)  क्रिम खिनिज का नाम उपकर और नियम के अधीन								
		क्रम सं0	ভাগত কা	गाम	उपकर प्रभार का न	और ग्राम	अवश्यक दर (प्रति टन)			
		1	समस्त गौप	ग खनिज	ऑनलाईन	फीस	रू0 5 ∕ −			
								1		

			गौण खनिज	दुग्ध उपकर प्रसंस्करण प्रभार	रू0 2/- रॉयलेटी के 75 प्रतिशत के बराबर।"	
चौथी अनुसूची का संशोधन	18.		संलग्न चौथी अनुसृ रखा जाएगा, अर्थात् सीमा		के विद्यमान उपबंधे सीमा	ं के स्थान
		30	गौण खनिज को निकालने हेतु अनुज्ञा पत्र प्रदान करने की शक्ति	निदेशक उद्योग	लोप किया जाएगा।	

आदेश द्वारा,

आर.डी.नज़ीम, भा.प्र.से. प्रधान सचिव (उद्योग) हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि। तारीख शिमला—2, 26.09.2024 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित है।

- 1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2
- 2. निदेशक, उद्योग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–1
- 3. समस्त जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश।
- 4. राज्य भू-विज्ञानी, हिमाचल प्रदेश।
- 5. समस्त महाप्रबन्धक ,जिला उद्योग केन्द्र, हि०प्र०।
- 6. समस्त खनि अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
- 7. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला।
- 8. गार्ड फाइल।

(वन्दना) अवर सचिव (उद्योग) हिमाचल प्रदेश सरकार। (Authoritative English Text of this Department Notification No. Ind-B-F(6)-14/2014-III, dated 26-09-2024 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India).

## Government of Himachal Pradesh Department of Industries

Dated: 26<sup>th</sup> September, 2024

No. Ind-B-F(6)-14/2014-III

## **NOTIFICATION**

In exercise of the powers conferred by section 15 read with section 23C of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) and Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2015 notified vide this department's notification No. Ind-II(F)6-14/2014, dated 13.03.2015 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh dated 21.03.2015,namely:-

Short title and 1.	(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Minor								
commencement.	Minerals (Concession) and Minerals (Prevention of Illegal Mining,								
	Transportation and Storage) Fifth Amendment Rules, 2024.								
	(2) These rules shall come into force from the date of their								
	publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.								
Amendment of 2.	In rule 2 of the Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) and								
rule 2.	Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2015 (hereinafter referred to as 'said rules'), in sub-rule (1),-								
	(a) for clause (p), the following shall be substituted, namely:- "(p) 'excavation' means digging of minerals for the purpose of winning of minerals from any land".								
	(b) for clause (zk), the following shall be substituted, namely:-								
	"(zk) 'State Geologist' means State Geologist in the Department of Industries".								
Amendment of 3.	In rule 16 of the said rules,-								
rule 16.	(a) for the sub-rule (2), the following shall be substituted, namely:-								
	"(2) The renewal of mining lease shall be granted at								

		Directorate level by the Competent Authority. The procedure to be followed for renewal of mining lease shall be similar to the procedure as laid down for fresh grant of mining lease, except consultation with concerned Gram Panchayat and approval from the Government. However, the application for renewal of mining lease shall be made in 'FORM-C' containing requisite documents before six months of the expiry of the lease and upon payment of a non refundable fee as specified in the FIRST SCHEDULE. In case, the applicant fails to apply in the stipulated period, the Competent Authority may allow the application, only after obtaining the reasons in writing from the applicant for such delay. This renewal shall be subject to the condition that the mine has been developed by the lessee in accordance with the terms and conditions of the lease deed and that the substantial investments in machinery, equipments have been made by him and that the mine has been worked and developed in a scientific manner and that the lessee has been paying the Government dues regularly under the rules."			
		(b) for sub-rule (5), the following shall be substituted, namely:-			
		"(5) The mining leases granted under these rules in Government land may be renewed for one or more terms not exceeding the original period of lease, subject to maximum period of ten years and the mining leases granted under these rules in private land may be renewed for one or more terms and the period of renewal shall be decided as per mineral reserves available in the mining lease area."			
Amendment of rule 17.	4.	In rule 17 of the said rules,-			
		(a) for sub-rule (1) of the said rules, the following shall be substituted namely:-			
		"(1) On the basis of observations and recommendations made by the Joint Inspection Committee, Letter of Intent for a term of two years shall be issued by the Competent Authority in favour of applicant for obtaining requisite environmental and other clearances from concerned Departments and completion of other required formalities for the grant of mining lease.  In case, the Letter of Intent holder fails to procure the requisite clearances in the above said period, the			

		further extension of the period of Letter of Intent shall be decided by the Competent Authority after reviewing the reasons and progress made for obtaining requisite clearances by the Letter of Intent holder."
		(b) for sub-rule (4) of the said rules, the following shall be substituted namely:-
		"(4) In case of renewal, the renewal period of lease shall be from the date of execution of renewal of mining lease deed unless otherwise stated."
Amendment of rule 19	5.	In rule 19 of the said rules,-
		(a) for clause (a) of sub-rule (1), the following shall be substituted namely:-
		"(a) The lessee shall pay royalty at the rate specified in the SECOND SCHEDULE along with EV charges, online charges and milk cess in advance on the minor minerals to be removed from the leased area at the rate specified in the THIRD SCHEDULE. However, as and when the limestone is supplied by the lessee to the Industries other than lime-kiln, royalty shall be paid by the lessee for the lime as major mineral, whichever is more. The lessee shall also pay for every year, such yearly dead rent within the limits specified in THIRD SCHEDULE as may be fixed from time to time by the Government and if the lease permits the working of more than one mineral in the same area, the Government may charge separate dead rent in respect of each minor minerals:  Provided that the lessee shall be liable to pay either dead rent or royalty in respect of each mineral whichever is higher but not both, however, he shall not be liable to pay dead rent or royalty, if mining operation has been suspended by the Government at its own."  (b) for sub-rule (15) of the said rules, the following shall be substituted, namely:-  "(15)(a) The collection/lifting of mineral from the riverbeds with the help of tyre mounted loader with backhoe upto 80 Horse Power shall not be treated as mechanical mining and the use of such loader shall be allowed with the permission of Director after depositing fee and security as specified in the FIRST SCHEDULE. The Director may issue such permission under the following terms and conditions:-

(ii) Natural flow of the water shall not be disturbed: (iii) The collection of mineral shall be done in a scientific manner: (iv) Any other condition imposed by the Director; (v) Any violation of terms and conditions imposed while granting such permission shall result in cancellation of permission and forfeiture of security amount thereof: The excavation/digging of minerals from riverbed (b) with excavator shall be treated as mechanical mining for which the mineral concession holder shall obtain all the necessary statutory clearances from concerned departments prior to the permission from the Director after depositing fee and security as specified in the FIRST SCHEDULE. The Director may issue such permission under the following terms and conditions:-Natural flow of the water shall not be disturbed; (i) The excavation/digging of mineral shall be done in a scientific manner as per the conditions stipulated in the clearances; (iii) Any other condition imposed by the Director; (iv) Any violation of terms and conditions imposed while granting such permission shall result in cancellation of permission and forfeiture of security amount thereof: (c) The lease holder may use excavator in hill slope mining with the permission of Geological Wing and after depositing fee and security as specified in the FIRST SCHEDULE." Amendment of In rule 23 of the said rules,rule 23. (a) for sub-rule (2), the following shall be substituted namely:-"(2) No auction or tender or contract shall be considered as successful unless accepted by the Competent Authority. The amount of the successful bid/tender shall become the annual contract money payable by the Contractor to the Government for a period of two years and after completion of two years, the annual contract money determined at the time of initial grant shall be increased at the rate of 10% per annum in a compounding manner. In case of auction or tender of private land, 80% of annual bid amount shall be paid to the surface right holder/land holder: Provided that no auction or tender or contract, as the case may be, regarding exploitation of minor minerals in 'Scheduled areas' shall be considered by the Government for acceptance unless recommended by Gram Sabha."

- (b) for sub-rule (3) the following shall be substituted namely:-
  - "(3) The amount to be paid annually by contractor under sub-rule (2) to the Government shall be payable in equal quarterly installments in advance. In case, the annual contract money is less than the royalty payable for the total annual quantity in the approved mining plan, the contractor shall have to pay an amount equivalent to 60% of the royalty of the approved mineral quantity of mining plan or whichever is higher:

Provided that the contractor shall also pay all the applicable taxes, fee and cess in addition to annual contract money as notified by the Government from time to time."

(c) for sub-rule (6) the following shall be substituted namely:-

"(6)(a) The collection/lifting of mineral from the riverbeds with the help of tyre mounted loader with backhoe upto 80 Horse Power shall not be treated as mechanical mining and the use of such loader shall be allowed with the permission of Director after depositing fee and security as specified in the FIRST SCHEDULE. The Director may issue such permission under the following terms and conditions:-

- (i) Only collection and lifting of the mineral is allowed.
- (ii) Natural flow of the water shall not be disturbed;
- (iii) The collection of mineral shall be done in a scientific manner:
- (iv) Any other condition imposed by the Director;
- (v) Any violation of terms and conditions imposed while granting such permission shall result in cancellation of permission and forfeiture of security amount thereof:
- (b) The excavation/digging of minerals from riverbed with excavator shall be treated as mechanical mining for which the mineral concession holder shall obtain all the necessary statutory clearances from concerned departments prior to the permission from the Director after depositing fee and security as specified in the FIRST SCHEDULE. The Director may issue such permission under the following terms and conditions:-
- (i) Natural flow of the water shall not be disturbed;
- (ii) The excavation/digging of mineral shall be done in a scientific manner as per the conditions stipulated in the clearances;
- (iii) Any other condition imposed by the Director;
- (iv) Any violation of terms and conditions imposed while granting such permission shall result in cancellation of permission and forfeiture of security amount thereof.

		(c) The lease holder may use excavator in hill slope mining with the permission of Geological Wing and after depositing fee and security as specified in the FIRST SCHEDULE."
		(d) sub-rule (8) of rule 23 shall be omitted.
Insertion of rule 23-A.		In the said rules, after rule 23, the following rule shall be inserted, namely:-
25-71.		<ul> <li>"23-A, Transfer of contract (1) The Contractor may, with the prior approval of the Competent Authority assign, sublet or transfer his contract or any right, title or interest therein to any person or body directly undertaking mining operation, holding a valid Certificate of No Mining Dues from concerned Mining Officer on payment of a sum as specified in the FIRST SCHEDULE.</li> <li>(2) The applicant may also change the title or name of the already issued 'Letter of Intent' or 'Sanction Order' in favour of any person holding a valid Certificate of No Mining Dues from concerned Mining Officer on the payment of a sum as specified in the FIRST SCHEDULE.</li> </ul>
		(3) Where an application for transfer of contract under sub-rule (1) is made and the Competent Authority has given approval for transfer of such contract, a transfer agreement deed shall be executed on 'FORM-J' on the same terms and conditions of the original agreement deed within three months from the date of issue of the Order or within such further period as the granting Authority may allow in this behalf:  Provided that the transferee shall be bound and abide by all the terms and conditions of the auction/tender and original agreement deed in as such as the Transferor.  Provided further that the area granted on contract shall not exceed 100 Hectares for transferee individually or with any person joint in interest within Himachal Pradesh."
Omission of Rule 29, 30, 31 and 32.	7.	Rule 29, 30, 31 and 32 of the said rules shall be omitted.
Amendment of rule 33.	8.	In rule 33 of the said rules,- (a) for sub-rule (1) of the said rules, the following shall be substituted namely:-
		"(1) Notwithstanding anything contained in these rules, the

Director or any Officer authorized by him in this behalf, may grant permission for lifting/transportation of minor minerals generated during various developmental activities and natural calamities for a specific purpose and period. The permission will be given after the site is inspected by a Committee consisting of Tehsildar, Assistant Engineer (Public Works Department) and Mining Officer which may also assess the availability of stock thereof.

Explanation:- For the purpose of this rule the developmental activities shall mean excavation of tunnel for hydro electric projects, construction of tunnels for connectivity of roads/railways track and construction of various National Highways/State Highways/any other roads, de-silting of reservoir, removal of sand and gravel from agricultural fields, grass land after monsoon season upto a depth of two (02) meters, development of plots, excavation of fisheries ponds and any kind of other developmental activities:

Provided that in case of material generated from road cutting of National Highway/ Express way/State Highway/H.P.P.W.D. road/ during execution of approved Hydel Projects, de-silting of reservoir, the Contractor/engaged subcontractor or concerned Agency may use such material after paying the royalty along with processing charges as specified in the THIRD SCHEDULE and after verification of the stock by the concerned Mining Officer along with representative of concerned Agency not below the rank of Assistant Engineer or equivalent.

Provided that if the Contractor/engaged subcontractor or concerned Agency do not require the whole quantity of the mineral so generated during the execution of project, the Competent Authority may grant permission to any interested person(s) within a radius of 5 Kms. with the consent of concerned Agency after verification of the quantity by the Committee specified in this sub rule on payment of royalty, processing and applicable taxes for using the material:

Provided further that the condition of 5 Kms. of distance shall not apply in case, the Committee recommends the feasibility of using the material beyond 5 Km. radius considering and examining site specific conditions subject to a maximum distance of 10 Kms."

(b) for clause (i) of sub-rule (2) the following shall be substituted, namely:-

	1	
		"(i) the royalty shall be charged on the saleable mineral in advance as per the rates specified in the SECOND SCHEDULE alongwith processing charges as specified in the THIRD SCHEDULE."
Amendment of Rule 34.	9.	for clause (iv) of rule 34 of the said rules, the following shall be substituted, namely:-
		"The depth of mining in the river bed shall not exceed two (02) meter or water level whichever is less:  Provided where the Joint Inspection Committee certifies about excessive deposition or over accumulation of minerals in certain reaches requiring channelization, it can go up to three meters on defined reaches of the river."
Amendment of rule 75.	10.	In rule 75 of the said rules, after sub rule(2), the following shall be inserted, namely:-
		"(3) No dealer shall procure, store or sale minor mineral more than 500 metric tonnes in a month."
Substitution of rule 78.	11.	for the rule 78 of said rules, following rule shall be substituted, namely:-
		"78. Penalty provisions for illegal storage:-
		Any contravention of sub-rule (1), (2) and (3) of rule 75 shall be punishable with imprisonment for a term which extend to two years, or with fine which may extend to Rs. 50,000/- (Rupees fifty thousand only), or with both:
		Provided that the contravention of sub-rule (1), (2) and (3) of rule 75 for the first and second time may be compounded by an officer authorized by the Government under section 22 of the Act and the case in relation to the subsequent contravention shall be filed by the officer so authorized in the competent court of law:
		Provided further that the amount of compounding fee shall not be less than Rs. 50,000/- plus the market sale price of the total material stored illegally at the spot."
Amendment of FORM-`F'.	12.	In FORM-'F' of the said rules, for serial number 4 of PART-II, the following shall be substituted, namely:-
		"4. The collection/lifting of mineral from the riverbeds with the help of tyre mounted loader with backhoe upto 80 Horse Power shall not be treated as mechanical mining and the use of

such loader shall be allowed with the permission of Director after depositing fee and security as specified in the FIRST SCHEDULE with the conditions as specified in the Rules. The excavation/digging of minerals from riverbed with excavator shall be treated as mechanical mining for which the mineral concession holder shall obtain all the necessary statutory clearances from concerned departments prior to the permission from the Director after depositing fee and security as specified in the FIRST SCHEDULE with the conditions as specified in the rules. The lease holder may use excavator in hill slope mining with the permission of Geological Wing and after depositing fee and security as specified in the FIRST SCHEDULE." In the said rules, the FORM-'J' shall be substituted, namely:-13. Substitution of FORM-'J'. "FORM-'J' [See rule 21(3) & 23-A] Form for Transfer of Mining Lease/Contract In case of Transfer of Mining Lease When the transferor is an individual...... This indenture is made this...... day of...... 20...... between...... (Name of the person with address and occupation) (hereafter referred to as the "transferor" which expression shall where the context so admits be deemed to include his heirs, executors, administrators, representatives and permitted assigns). When the transferors are more than one individual.....(Name of person with address and occupation) and ......(Name of person with address and occupation) (hereinafter referred to as the "transferor" which expression shall where the context so admits be deemed to include their respective heirs, executors, administrators, representatives and permitted assigns). When the transferor is a registered firm.....(Name of the person with address of all the partners) all carrying on business in partnership under the firm name and style of.....(Name of the firm) registered under the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932) and having their registered office at.....(hereinafter referred to as the "transferor" which expression where the context so admits be deemed to include all the said partners, their respective heirs, executors, legal representatives and permitted assigns). When the transferor is a registered company...... (Name of Company) a company incorporated under the Companies Act, 2013 through ...... duly authorized by the Company and having its registered office at..... (Address) (hereinafter referred to as the "transferor" which expression shall where the context so admits be deemed to include its successors and permitted assigns) of the first part.

#### And

When the transferee is an individual........... (Name of person with address and occupation) (hereinafter referred to as the "transferee" which expression shall where the context so admits be deemed to include his heirs, executors, administrators, representatives and permitted assigns.).

When the transferees are more than one individual........(Name of the person with address and occupation) and .......(Name of person with address and occupation)(hereinafter referred to as the "transferee" which expression shall where the context so admits be deemed to include their respective heirs, executors, administrators, representatives and permitted assigns).

When the transferee is a registered firm........... (Name and address of all the partners all carrying on business in partnership under the firm name and style of) ......................... (Name of the firm) registered under the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932) and having their registered office at......................... (hereinafter referred to as the "transferee" which expression where the context so admits be deemed to include all the said partners, their respective heirs, executors, legal representatives and permitted assigns).

When the transferee is a registered company............ (Name of the Company) a company registered under (Act under which incorporated) and having its registered office at ................ (Address) (hereinafter referred to as the "transferee" which expression shall where the context so admits be deemed to include its successors and permitted assigns) of the second part.

And The Governor through ...... (hereinafter referred to as the 'State Government' which expression shall where the context so admits be deemed to include the successors and assigns) of the third part.

 lease or any interest there under without the previous sanction of the State Government;

Now this Deed Witnesseth as follows:

- 1. The transferee hereby covenants with the State Government that from and after the transfer and assignment of the lease the transferee shall be bound by, and be liable to perform, observe and conform and be subject to all the provisions of all the covenants, stipulations and conditions contained in said hereinbefore recited lease in the same manner in all respects as if the lease had been granted to the transferee as the lessee there under and he had originally executed it as such.
- 2. It is further hereby agreed and declared by the transferor of the one part and the transferee of the other part that
- (i) The transferor and the transferee declare that they have ensured that the mineral rights over the area for which the mining lease is being transferred vest in the State Government.
- (ii) The transferor hereby declares that he has not assigned, sublet, mortgaged or in any other manner transferred the mining lease now being transferred and that no other person or persons has any right, title or interest where under in the present mining lease being transferred.
- (iii) The transferor further declares that he has not entered into or made any Agreements, contract or understanding whereby he had been or is being Directly or indirectly financed to a substantial extent by or under which the Transferor's operation or understandings were or are being substantially controlled by any person or body of persons other than the transferor.
- (iv) The transferee hereby declares that he/she has accepted all the conditions and liabilities which the transferor was having in respect of such contract/lease.
- (v) The transferee further declares that he is financially capable of and will directly undertake mining operations.
- (vi) The transferee further declares that he has filed an affidavit stating that he has filed up-to-date Income Tax returns.
- (vii) The transferor has supplied to the transferee the original or

certified Copies of all plans of workings in the area. (viii) The transferor has paid all the rent, royalties, and other dues towards Government till the date, in respect of this contract/lease. In witness whereof the parties hereto have signed on the date and year first above written. **SCHEDULE** Location and area of the contract/lease All that tract of lands situated at ...... (Description of area or areas) ..... in (Pargana) in District......bearing Cadastral Nos...... containing an area of ......or thereabout delineated on the plan hereto annexed and thereon coloured ..... and bounded as follows:-ON THE NORTH BY ON THE SOUTH BY ON THE EAST BY AND ON THE WEST BY Signed by for and on behalf of the Governor of Himachal Pradesh in the presence of witnesses 1. 2. Signature of transferor in the presence of witnesses 1. 2.

Signature of transferee in the presence of witnesses

1.
2. OR
In case of Transfer of Contract
When the transferor is an individual
When the transferor is a registered company (Name of Company) a company incorporated under the Companies Act, 2013 through duly auhorised by the Company and having its registered office at (Address) (hereinafter referred to as the "transferor" which expression shall where the context so admits be deemed to include its successors and permitted assigns) of the first part.
And When the transferee is an individual (Name of person with address and occupation) (hereinafter referred to as the "transferee" which expression shall where the context so admits be deemed to include his heirs, executors, administrators, representatives and permitted assigns.).
When the transferees are more than one individual(Name of the person with address and occupation) and(Name of person with address and occupation)(hereinafter referred to as the

"transferee" which expression shall where the context so admits be deemed to include their respective heirs, executors, administrators, representatives and permitted assigns).

When the transferee is a registered firm........... (Name and address of all the partners all carrying on business in partnership under the firm name and style of) ......................... (Name of the firm) registered under the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932) and having their registered office at......................... (hereinafter referred to as the "transferee" which expression where the context so admits be deemed to include all the said partners, their respective heirs, executors, legal representatives and permitted assigns).

When the transferee is a registered company............ (Name of the Company) a company registered under (Act under which incorporated) and having its registered office at ................ (Address) (hereinafter referred to as the "transferee" which expression shall where the context so admits be deemed to include its successors and permitted assigns) of the second part.

And The Governor through ............ (hereinafter referred to as the 'State Government' which expression shall where the context so admits be deemed to include the successors and assigns) of the third part.

Now this Deed Witnesseth as follows:

- 1. The transferee hereby covenants with the State Government that from and after the transfer and assignment of the contract the transferee shall be bound by, and be liable to perform, observe and conform and be subject to all the provisions of all the covenants, stipulations and conditions contained in said hereinbefore recited contract in the same manner in all respects as if the contract had been granted to the transferee as the contractor thereunder and he had originally executed it as such.
- 2. It is further hereby agreed and declared by the transferor of the one part and the transferee of the other part that
- (i) The transferor and the transferee declare that they have ensured that the mineral rights over the area for which the contract is being transferred vest in the State Government.
- (ii) The transferor hereby declares that he has not assigned, sublet, mortgaged or in any other manner transferred the contract now being transferred and that no other person or persons has any right, title or interest where under in the present contract being transferred.
- (iii) The transferor further declares that he has not entered into or made any Agreements, contract or understanding whereby he had been or is being Directly or indirectly financed to a substantial extent by or under which the Transferor's operation or understandings were or are being substantially controlled by any person or body of persons other than the transferor.
- (iv) The transferee hereby declares that he/she has accepted all the conditions and liabilities which the transferor was having in respect of such contract.
- (v) The transferee further declares that he is financially capable of and will directly undertake mining operations.
- (vi) The transferee further declares that he has filed an affidavit stating that he has filed up-to-date Income Tax returns.
- (vii) The transferor has supplied to the transferee the original or certified Copies of all plans of workings in the area.
- (viii) The transferor has paid all the rent, royalties, and other dues towards Government till the date, in respect of this contract.

In witness whereof the parties hereto have signed on the date and year first above written.

### **SCHEDULE**

Location and area of the contract

All that tract of lands situated at

(Description of area or areas)							
District			(Description of area or areas) in (Pargana) in				
Survey Nos			Sub				
Nos			=				
thereabout delineated on the plan hereto annexed and thereon coloured			•				
delineated on the plan hereto annexed and thereon coloured			=				
and bounded as follows:-  ON THE NORTH BY ON THE SOUTH BY ON THE EAST BY AND ON THE WEST BY  Signed by for and on behalf of the Governor of Himachal Pradesh in the presence of witnesses 1. 2. Signature of transferor in the presence of witnesses 1. 2. Signature of transferee in the presence of witnesses 1. 2. Signature of transferee in the presence of witnesses 1. 2. The collection/lifting of mineral from the riverbeds with the							
ON THE NORTH BY ON THE SOUTH BY ON THE EAST BY AND ON THE WEST BY  Signed by for and on behalf of the Governor of Himachal Pradesh in the presence of witnesses 1. 2. Signature of transferor in the presence of witnesses 1. 2. Signature of transferee in the presence of witnesses 1. 2. The collection/lifting of mineral from the riverbeds with the							
ON THE SOUTH BY ON THE EAST BY AND ON THE WEST BY  Signed by for and on behalf of the Governor of Himachal Pradesh in the presence of witnesses 1. 2. Signature of transferor in the presence of witnesses 1. 2. Signature of transferee in the presence of witnesses 1. 2. Signature of transferee in the presence of witnesses 1. 2. The collection/lifting of mineral from the riverbeds with the			and bounded as follows:-				
Signed by for and on behalf of the Governor of Himachal Pradesh in the presence of witnesses  1.  2.  Signature of transferor in the presence of witnesses  1.  2.  Signature of transferee in the presence of witnesses  1.  2.  Signature of transferee in the presence of witnesses  1.  2.  Signature of transferee in the presence of witnesses  1.  2.  The collection/lifting of mineral from the riverbeds with the			ON THE SOUTH BY				
for and on behalf of the Governor of Himachal Pradesh in the presence of witnesses  1.  2.  Signature of transferor in the presence of witnesses  1.  2.  Signature of transferee in the presence of witnesses  1.  2.  Signature of transferee in the presence of witnesses  1.  2.  Yhere is a substituted, for serial number (21) of PART-IV, the following shall be substituted, namely:  "21. The collection/lifting of mineral from the riverbeds with the							
for and on behalf of the Governor of Himachal Pradesh in the presence of witnesses  1.  2.  Signature of transferor in the presence of witnesses  1.  2.  Signature of transferee in the presence of witnesses  1.  2.  Signature of transferee in the presence of witnesses  1.  2.  Yhere is a substituted, for serial number (21) of PART-IV, the following shall be substituted, namely:  "21. The collection/lifting of mineral from the riverbeds with the							
2. Signature of transferor in the presence of witnesses  1. 2. Signature of transferee in the presence of witnesses  1. 2. "  Amendment of FORM-'K'.  14. In the said rules, In FORM-K, for serial number (21) of PART-IV, the following shall be substituted, namely:- "21. The collection/lifting of mineral from the riverbeds with the			for and on behalf of the Governor of Himachal Pradesh in the presence of				
Signature of transferor in the presence of witnesses  1. 2. Signature of transferee in the presence of witnesses  1. 2. "  Amendment of FORM-'K'.  14. In the said rules, In FORM-K, for serial number (21) of PART-IV, the following shall be substituted, namely:-  "21. The collection/lifting of mineral from the riverbeds with the			1.				
1. 2. Signature of transferee in the presence of witnesses 1. 2. "  Amendment of FORM-'K'.  14. In the said rules, In FORM-K, for serial number (21) of PART-IV, the following shall be substituted, namely:- "21. The collection/lifting of mineral from the riverbeds with the			2.				
2. Signature of transferee in the presence of witnesses  1. 2. "  Amendment of FORM-'K'.  14. In the said rules, In FORM-K, for serial number (21) of PART-IV, the following shall be substituted, namely:-  "21. The collection/lifting of mineral from the riverbeds with the			Signature of transferor in the presence of witnesses				
Signature of transferee in the presence of witnesses  1. 2. "  Amendment of FORM-'K'.  14. In the said rules, In FORM-K, for serial number (21) of PART-IV, the following shall be substituted, namely:- "21. The collection/lifting of mineral from the riverbeds with the			1.				
Amendment of FORM-'K'.  1.  2. "  14. In the said rules, In FORM-K, for serial number (21) of PART-IV, the following shall be substituted, namely:-  "21. The collection/lifting of mineral from the riverbeds with the			2.				
Amendment of FORM-'K'.  14. In the said rules, In FORM-K, for serial number (21) of PART-IV, the following shall be substituted, namely:-  "21. The collection/lifting of mineral from the riverbeds with the			Signature of transferee in the presence of witnesses				
Amendment of FORM-'K'.  14. In the said rules, In FORM-K, for serial number (21) of PART-IV, the following shall be substituted, namely:-  "21. The collection/lifting of mineral from the riverbeds with the			1.				
FORM-'K'. the following shall be substituted, namely:- "21. The collection/lifting of mineral from the riverbeds with the			2. "				
FORM-'K'. the following shall be substituted, namely:- "21. The collection/lifting of mineral from the riverbeds with the							
FORM-'K'. the following shall be substituted, namely:- "21. The collection/lifting of mineral from the riverbeds with the	Amendment of	14.	In the said rules, In FORM-K, for serial number (21) of PART-IV,				
"21. The collection/lifting of mineral from the riverbeds with the	FORM-`K'.	ORM-`K'					
_			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
help of twe mounted loader with backhoe unto XII Horse Dower I							
			help of tyre mounted loader with backhoe upto 80 Horse Power				
shall not be treated as mechanical mining and the use of such			shall not be treated as mechanical mining and the use of such				

	loa	der shall b	e allowed with the	he permission of Director after				
	dej	depositing fee and security as specified in the FIRST						
	SC	SCHEDULE with the conditions as specified in the rules.						
	The excavation/digging of minerals from riverbed							
	wit	th excavator	shall be treated	as mechanical mining for which				
	the	mineral c	oncession holder	shall obtain all the necessary				
	sta	tutory clear	rances from conc	erned departments prior to the				
	pei	mission fro	m the Director aft	ter depositing fee and security as				
	spe	ecified in t	he FIRST SCHE	EDULE with the conditions as				
	spe	ecified in the	e Rules.					
		The	e lease holder m	ay use excavator in hill slope				
	mi	ning with	the permission of	of Geological Wing and after				
	dej	positing fe	e and security	as specified in the FIRST				
	SC	HEDULE."						
15.	The FORM-'L' appended to the said rule shall be Omitted.							
16.				4 and 15, the following shall be				
		FEE	REOUIRED UNI	DER THE RULES				
	S.	Rule	Particulars	Fee (in Rupees)				
		7 (h)(i)	Application fee	Rs. 25,000/- (non-refundable)				
		and 16(2)	for Mining Lease/Renewal					
	4	19(15)		Rs. Fifty Lakhs (50,00,000/-) for				
	<b>-</b>	and 23(6)	for Mechanical	a period of two (02) years for an				
			<u> </u>	area 10 Hect. & and thereafter Rs. one Lakh (1,00,000/-) per				
			Kiverbeu	hectare for area more that 10				
				Hectares on pro-rata basis (Non-				
			Security for	refundable).  Rs. Twenty Five Lakhs				
			1	(25,00,000/-) for a period of two				
			Mining in Riverbed	(02) years				
		with the star per special spec	depositing features SCHEDULE with excavator the mineral constatutory clear permission from specified in the specified in the mining with depositing features SCHEDULE."  15. The FORM-'1  16. In the FIRST SC number 2, 4, 5, 6, FEE  S. Rule No. 2. 7 (h)(i) and 16(2)  4. 19(15)	SCHEDULE with the conditions The excavation/digg with excavator shall be treated the mineral concession holder statutory clearances from conce permission from the Director aft specified in the FIRST SCHE specified in the Rules.  The lease holder me mining with the permission of depositing fee and security SCHEDULE."  The FORM-'L' appended to the  16. In the FIRST SCHEDULE appendent of the security appendent of the security of the security of the security appendent of the security				

	T	for M1 - 1	£ (05) £
		for Mechanical Mining in Hill Slope	five (05) years for an area upto five (05) Hectares and thereafter Rs. Twenty Five Thousand (25,000/-) per hectare for area more that 5 Hectares on pro-rata basis (Non-refundable).
		Security for Mechanical Mining	Rs. 2,00,000/-
		Application fee for tyre mounted loader upto 80 Horse Power with backhoe	Rs. Twelve Lakhs (12,00,000/-) for a period of two (02) years for an area upto five (05) Hectares and thereafter Rs. Twenty Five Thousand (25,000/-) per hectare for area more that 5 Hectares on pro-rata basis (Non-refundable).
		Security for tyre mounted front end loader upto 80 Horse Power with backhoe	Rs. 2,50,000/-
5.	21 (1) and 23 (A)	Fee for Transfer of Mining Lease and Transfer of contract	In case of mining lease:-2,50,000/- (Non-refundable) upto 5 hectares area and thereafter 50,000/- per hectare for the area more than 5 hectares on pro-rata basis.
			In case of Auction/ Tender:-5,00,000/- (Non-refundable) upto 5 hectares area and thereafter 1,00,000/- per hectare for the area more than 5 hectares on pro-rata basis.
6.	21 (2) and 23 (A)	Fee for Transfer of Letter of Intent and Sanction Order and Transfer of contract	In case of mining lease:-1,00,000/- (Non-refundable) upto 5 hectares area and thereafter 20,000/- per hectare for the area more than 5 hectares on pro-rata basis.
			In case of Auction/Tender:-2,50,000/- (Non-refundable) upto 5 hectares area and thereafter 50,000/- per hectare for the area more than 5 hectares on pro-rata basis.
7.	29(3)	Application fee for Permit	Omitted
9.	40(2)	Fee for	25,000/-

			Modification of Mining Plan	f			
	11.	60	Fees for Appeal	5,000/- (noi	n-refundable)		
	12.	68(2)	Application fee for Join Inspection o Stone Crushe Site.	t f	on-refundable)		
	13.	69(1)	Application fee for Permanen Registration o Stone Crusher.	t	on-refundable)		
	14.	74(2)(a)	Application fee for Registration as a dealer.	1	Non-refundable)		
	15.	77(1)	Security for Dealer Registration	r 2,50,000/-			
Amendment of 17	. In TH	IRD SCHED	ULE appended t	o the said rule	es		
THIRD			serial number 1,	, the following	g shall be substituted		
SCHEDULE		mely:- RATES OF S	URFACE RENT	FOR GOVER	RNMENT LAND IN		
			ECTARE PER AN				
			[see rule ]	. , . , -			
	Sr. No.	Name of Mineral	f the Minor	Rate of Surfa	ce Rent		
	1.	All Minor	Minerals	Rs. 50,000/- 1	per hectare."		
	L						
	(b) <u>In</u>	THIRD SCH	HEDULE appende	ed to the said r	ules, after PART-B,		
	<u>th</u>		hall be inserted, n				
		"C. CESS AND OTHER CHARGES					
	Cn	Nome of	[see rule 19(1)(	, , , , , =			
	Sr. No.	Name of		me of cess d charges	Rate required under Rule (Per tonne)		
	1.	All Mino	r Minerals On	line charges	Rs. 5/		
	2.			<sup>7</sup> charge	Rs. 5/-		
	3.			lk cess	Rs. 2/-		
	4.	All Minor		ocessing larges	Equivalent to 75% of the		
					royalty"		

Amendment FOURTH SCHEDULE	of	18.	In the FOURTH SCHEDULE appended to the said rules, for the existing provision(s) against rule 30, the following shall be substituted, namely:-					
			Rule	Limit	Authorized Officers	Limit		
			30	Power to grant permits for extraction of minor mineral.	Director of Industries	Omitted		

By order,

R.D.Nazeem, IAS
Principal Secretary (Industries) to the
Government of Himachal Pradesh

Endst No. Ind-B-F(6)-14/2014-III Dated: Shimla-2, the Copy is forwarded for information and necessary action to:-

- 1. All the Administrative Secretaries to the Government of Himachal Pradesh
- 2. The Director of Industries, H.P. Shimla-2.
- 3. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 4. The State Geologist/Geologists, Himachal Pradesh, Shimla-9.
- 5. All the General Manager, District Industries Centre in Himachal Pradesh.
- 6. All the Mining Officers in Himachal Pradesh.
- 7. The Controller, Printer & Stationary, HP Shimla-05
- 8. Guard File.

(Vandana) Under Secretary (Industries) to the Government of Himachal Pradesh